IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.301
Volume 3, Issue 2, September 2023

भारतीय सामज में नारी की स्थिति

देवी राम[1] and डॉ. अमीत कुमार[2]
शोधार्थी, समाजशास्त्र विभाग[1]
एसोसिएट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग[2]
ओ. पी. जे. एस. विश्वविद्यालय, राजस्थान

शोध सारांश

प्रस्तुत शोध पत्र में भारतीय समाज में नारी की स्थिति को को लेकर दर्शाया गया है। स्वतंत्रता के पश्चात् भारतीय नारी की स्थिति में क्रांतिकारी बदलाव आया। यह घर की चारदिवारी से बाहर निकलकर देष के बहुआयायामी विकास में अमुल्य योगदान देने लगी। आज हमारे देश की नारियां राजनितिक सामाजिक, आर्थिक सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और शैक्षिक सभी क्षेत्रो में आगे बढ़ रही है। सादियों से शोषित एवं पददलित नारी पुरुष प्रधान समाज के प्रभाव से मुक्त होकर आर्थिक राजनैतिक और सामाजिक दासता से निकलकर स्वछच्छंद जीवन का विकास करने की सुविधाएं प्राप्त कर रही है। इस विश्लेषण के माध्यम से यह जानने का प्रयास किया गया है कि विभिन्न समाजों संस्कृतियों में नारीवादी अवधारणा का विकास किस प्रकार हुआ एवं कैसे लोकप्रिय हुयी। समाजषास्त्रीयों ने नारीवाद की अवधारणा का विश्लेषण जिन नारीवादी सिद्धान्तों के माध्यम से किया है तथा नारीवाद के माध्यम से महिलायें स्वयं का सशक्तीकरण करने में कहां तक सफल हुई हैं, ऐसे कई विषयों पर विचार किया गया है।

शब्द कुंजी- भारीत्य समाज, राजनितिक सामाजिक, आर्थिक सांस्कृतिक, नारीवाद इत्यादि।

प्रस्तावना-

प्राचीन काल से आधुनिक काल यानि वर्तमान समय तक भारत में स्त्रियों की स्थिति परिवर्तनशील रही है। हमारा समाज प्राचीन काल से आज तक पुरुष प्रधान ही रहा है । ऐसा नहीं है कि स्त्रियों का शोषण सिर्फ पुरुष वर्ग ने ही किया, पुरुष से ज्यादा तो एक स्त्री ने दूसरी स्त्री पर या स्त्री ने खुद अपने ऊपर अत्याचार किया है। पुरुष की उदंडता, उच्छृंखलता और अहम् के कारण या स्त्री की अशिक्षा, विनम्रता और स्त्री सुलभ उदारता के कारण उसे प्रताड़ित, अपमानित और उपेक्षित होना पड़ा। पहले हम इतिहास में भारतीय स्त्रियों की स्थिति पे नजर डाल लें फिर वर्तमान स्थिति का आंकलन करेंगे। रायबर्न के अनुसार- "स्त्रियों ने ही प्रथम सभ्यता की नींव डाली है और उन्होंने ही जंगलों में मारे-मारे भटकते हुए पुरुषों को हाथ पकड़कर अपने स्तर का जीवन प्रदान किया तथा घर में बसाया।" भारत में सैद्धान्तिक रूप से स्त्रियों को उच्च दर्जा दिया गया है, हिन्दू आदर्श के अनुसार स्त्रियाँ अर्धांगिनी कही गयीं हैं। मातृत्व का आदर भारतीय समाज की विशेषता है। संसार की ईश्वरीय शक्ति दुर्गा, काली, लक्ष्मी, सरस्वती आदि नारी शक्ति, धन, ज्ञान का प्रतीक मानी गयी हैं तभी तो अपने देश को हम भारत माता कहकर अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं।

विभिन्न युगों में स्त्रियों की स्थिति –

वैदिक युग-वैदिक युग सभ्यता और संस्कृति की दृष्टि से स्त्रियों की चरमोन्नती का काल था, उसकी प्रतिभा, तपस्या और विद्वता सभी विकासोन्मुख होने के साथ ही पुरुषों को परास्त करने वाली थी। उस समय स्त्रियों की स्थिति उनके आत्मविश्वास, शिक्षा, संपत्ति आदि के सम्बन्ध में पुरुषों के समान थी। यज्ञों में भी उसे सर्वाधिकार प्राप्त था। वैदिक युग में लड़कियों की गतिशीलता पर कोई रोक नहीं थी और न ही मेल मिलाप पर। उस युग में मैत्रेयी, गार्गी और अनुसूया नामक विदुषी स्त्रियाँ शास्त्रार्थ में पारंगत थीं।

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.301
Volume 3, Issue 2, September 2023

'यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता' उक्ति वैदिक काल के लिए सत्य उक्ति थी। महाभारत के कथनानुसार वह घर घर नहीं जिस घर में सुसंस्कृत, सुशिक्षित पत्नी न हो। गृहिणी विहीन घर जंगल के समान माना जाता था और उसे पति की तरह ही समानाधिकार प्राप्त थे। वैदिक युग भारतीय समाज का स्वर्ण युग था।

उत्तर वैदिक युग- वैदिक युग में स्त्रियों की जो स्थिति थी वह इस युग में कायम न रह सकी। उसकी शक्ति, प्रतिभा व स्वतंत्रता के विकास पर प्रतिबन्ध लगने लगे। धर्म सूत्र में बाल-विवाह का निर्देश दिया गया जिससे स्त्रियों की शिक्षा में बाधा पहुंची और उनकी स्वतंत्रता को तथाकथित ज्ञानियों ने ऐसा कहकर उनकी शक्ति को सिमित कर दिया कि- "पिता रक्षति कौमारे, भर्ता रक्षति यौवने। पुत्रश्च स्थाविरे भावे, न स्त्री स्वातंत्रयमर्हति॥ वो घर की चारदीवारी में कैद हो गयीं, पढने-लिखने व वेदों का ज्ञान असंभव हो गया और उनके लिए धार्मिक संस्कार में भाग लेने की मनाही हो गयी। बहुपत्नी प्रथा का प्रचलन हो गया और वैदिक युग की तुलना में उत्तर व दीर्घकाल में उनकी स्थिति निम्न स्तर की होती गयी।

स्मृति युग-इस युग में स्त्रियों की स्थिति पहले से ज्यादा बदतर हो गयी, कारण यह था कि बाल-विवाह तथा बहुपत्नी प्रथा का प्रचलन और बढ़ गया। इस युग में विवाह की आयु घटाकर १२-१३ वर्ष कर दी गयी। विवाह की आयु घटाने से शिक्षा न के बराबर हो गयी, उनके समस्त अधिकारों का हनन हो गया। उन्हें जो भी सम्मान इस युग में मिला वह सिर्फ माता के रूप में न कि पत्नी के रूप में। स्त्रियों का परम कर्तव्य पति जैसा भी हो उनकी सेवा करना था। विधवा के पुनर्विवाह पर भी कठोर प्रतिबन्ध लगा दिया गया।

मध्यकालीन युग-इस युग में मुग़ल साम्राज्य होने से स्त्रियों की दशा और भी दयनीय हो गयी। मनीषियों ने हिन्दू धर्म की रक्षा, स्त्रियों के मातृत्व और रक्त की शुद्धता को बनाये रखने के लिए स्त्रियों के सम्बन्ध में नियमों को कठोर बना दिया। ऊँची जाति में शिक्षा समाप्त हो गयी और पर्दा प्रथा का प्रचलन हो गया। विवाह की आयु घटकर ८-९ वर्ष हो गयी। विधवाओं का पुनर्विवाह पूरी तरह समाप्त हो गया और सती-प्रथा चरम सीमा पर पहुँच गयी। इस युग में केवल स्त्रियों के संपत्ति के सम्बन्ध में सुधार हुआ उन्हें भी पिता की संपत्ति में उत्तराधिकार मिलने लगा।

आधुनिक युग- आधुनिक युग में स्त्रियों की दयनीय स्थिति समाज सुधारकों तथा साहित्यकारों ने ध्यान दिया और उनकी दशा सुधारने के प्रयास किये। जहाँ कवि मैथिलीशरण गुप्त ने स्त्रियों की दशा की तरफ समाज का ध्यान आकर्षित करने के लिए मर्मस्पर्शी पंक्तियाँ लिखी कि- अबला जीवन हाय तेरी यही कहानी। आँचल में है दूध और आँखों में पानी॥

वहीँ कवि जय शंकर प्रसाद ने स्त्रियों की महत्ता का बोध समाज को अपनी इन पंक्तियों से कराया- नारी तुम केवल श्रद्धा हो , विश्वास रजत नग, पग तल में। पियूष स्रोत सी बहा करो, जीवन के सुन्दर समतल में॥

साहित्यकारों ने स्त्री की ममता, वात्सल्य, राष्ट्र के निर्माण में योगदान देने वाले गुणों के महत्व को समाज को समझाया और उनकी महत्ता के प्रति जागरूक किया।

अनेक समाज सुधारकों ने उनकी दशा सुधारने के लिए सकारात्मक प्रयास किया। स्वामी दयानंद ने स्त्री-शिक्षा पर बल दिया, बाल-विवाह के विरूद्ध आवाज उठाई। राजा राम मोहन राय ने सती-प्रथा बंद कराने के लिए संघर्ष किया। परिणामस्वरूप सन १९२९ में बाल विवाह निरोधक अधिनियम द्वारा बाल विवाह का कानूनी रूप से अंत कर दिया गया, अब कोई भी माता-पिता लड़की का विवाह १८ वर्ष की आयु से पहले नहीं कर सकता।

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.301
Volume 3, Issue 2, September 2023

१९६१ के दहेज़ विरोधी अधिनियम द्वारा दहेज़ लेना व देना अपराध घोषित कर दिया गया मगर व्यावहारिक रूप से कोई विशेष सुधार नहीं हो पाया।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद स्त्री की स्थिति- स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद स्त्री की दशा में बदलाव आया। भारतीय संविधान के अनुसार उसे पुरुष के समकक्ष अधिकार प्राप्त हुए। स्त्री शिक्षा पर बल देने के लिए स्त्रियों के लिए निःशुल्क शिक्षा एवं छात्रवृति की व्यवस्था हुई। परिणामतः जल, थल व वायु कोई भी क्षेत्र स्त्री से अछूता नहीं रहा। १९९५ के विशेष विवाह अधिनियम ने स्त्रियों को धार्मिक व अन्य सभी प्रकार के प्रतिबंधों से मुक्त होकर विवाह करने का अधिकार दिया, अब बहुपत्नी विवाह गैर कानूनी माना गया। स्त्रियों को भी विवाह विच्छेद का पूरा अधिकार मिला और विधवा विवाह भी कानूनी रूप से मान्य हुआ। पत्नी पति की दासी नहीं मित्र मानी जाने लगी।

उपर्युक्त सारी बातें इतिहास की किताबों या बीते समय की बातें हैं और वर्तमान समय में कितनी सही है और कितनी गलत ये इस बात पर निर्भर है कि हम व्यवहारिक रूप से स्त्रियों के अधिकारों और सम्मान की रक्षा की महत्ता को समझें। सिर्फ क़ानून की किताबों और कानून के रक्षक के हाथों की कठपुतली ही न बनकर रह जाएँ।

वर्तमान युग- वर्तमान युग या आज के समय की बात करें तो इसमें कोई दो राय नहीं कि स्त्रियों की स्थिति पहले से अच्छी है, लगभग सभी देशों में स्त्री ने पुनः अपनी शक्ति का लोहा मनवाया है। हम कह सकते हैं कि आज का युग स्त्री-जागरण का युग है। भारत के सर्वोच्च पद [राष्ट्रपति] को भी स्त्री ने सुशोभित किया। ज्ञान, विज्ञानं, चिकित्सा, शासन कार्य और यहाँ तक कि सैनिक बनकर देश की रक्षा के लिए मोर्चों पर जाने का भी साहस करने लगी है। स्त्री अपराजिता है और उसकी जीत में पुरुषों का योगदान ठीक वैसे ही है जैसे एक पुरुष की जीत में स्त्री का हाथ होता है। उसकी स्थिति को सशक्त बनाने में पिता, भाई, पति और पुत्र का हर कदम पर साथ मिला। स्त्रियों को कानून का भी साथ मिला है मगर अभी भी पूरे देश में स्त्रियों में वो जागरूकता नहीं आई है कि वो कानून से मिले अधिकारों से अपने साथ हो रहे अत्याचार, अन्याय और प्रताड़ना के खिलाफ आवाज उठाये। ज्यादातर स्त्रियाँ अपने परिवार और समाज के खिलाफ कदम उठाने का साहस ही नहीं जुटा पातीं। आज भी स्त्रियों का एक बड़ा वर्ग अपने कानूनी अधिकारों से भी अनभिज्ञ है और जो वर्ग आवाज उठाने की हिम्मत करता है उन्हें भी बहरे और अंधे कानून से उचित न्याय नहीं मिल पाता।

सबसे बड़ा सवाल उसके आत्मसम्मान की सुरक्षा का है, आज भी स्त्री हर जगह असुरक्षित है। जिस पुरुष ने अपनी माँ, बहन, बेटी और पत्नी को आत्मनिर्भर बनने में साथ दिया क्या वो उसे समाज में सम्मान से जीने का भरोसा दे पाया? सुबह घर से काम पर निकलने वाली स्त्रियाँ शाम को सुरक्षित घर कैसे लौटें, सबको ये डर सताता रहता है। क्या कानून, पुलिस और हमारा समाज अपनी जिम्मेदारी निभा पाया? क्या ऐसे समाज को हम अच्छा कहेंगे जहाँ स्त्री को अपनी इज्जत की भीख मंगनी पड़े? क्या रिश्तेदारों का साथ होना सुरक्षा की गारंटी दे सकता है? क्या पुरुष पश्चमी सभ्यता नहीं अपनाते? क्या आजादी सिर्फ पुरुषों को मिली है? क्या स्वतन्त्र भारत में भी स्त्रियाँ परतंत्र बनी रहें? सच तो ये है कि वर्तमान समय में स्त्रियों के आत्मविश्वास और आत्मबल को हमारे समाज ने तोडा है, हमारा शिक्षित समाज आज भी स्त्रियों को सम्मान देने के सम्बन्ध में अशिक्षित ही रह गया है। ये कहते हुए और भी दुःख होता है कि स्त्री स्वयं भी इस स्तिथि के लिए दोषी हैं? वो अपनी ही संतान से लिंग के आधार पर शुरू से ही भेद-भाव करती आई हैं। बेटे और बेटी को एक जैसा संस्कार नहीं दे पाई। अधिकतर स्त्रियों ने बेटों को प्यार और आजादी ज्यादा दी उसी का परिणाम है आज के समाज में स्त्रियों के लिए असुरक्षित वातावरण।

हमेशा से यही माना गया है कि स्त्रियाँ शारीरिक रूप से पुरुषों से कमजोर हैं पर मेरा मन ये नहीं मानता जो स्त्री सृजन की शक्ति रखती है वो कमजोर कैसे हो सकती है ज्यादातर हादसे का शिकार होने की वजह उनका डर और दहशत से कमजोर पड़ जाना ही होता है। एक छोटा बच्चा भी अगर अपनी पूरी शक्ति लगाकर हाथ पैर मारता है या शरीर कड़ा कर लेता है [जब बच्चा किसी बात

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.301
Volume 3, Issue 2, September 2023

के लिए जिद करता है] तो किसी के लिए भी उसे काबू में करना बहुत मुश्किल होता है। जब अकेली लड़की और स्त्री के साथ अकेले दुष्कर्म करना आसान नहीं रहा तब धोखे से उनके साथ दुष्कर्म होने लगे किसी सॉफ्ट ड्रिंक में नशे की गोली डालकर या फिर एक साथ कई दरिन्दे मिल कर दुराचार को अंजाम देने लगे। आज सबसे जरुरी है कि हमारा समाज अपनी सोंच को बदले जहाँ कानून सिर्फ पन्नों में धरे रह जाते हैं या तो समय पर साथ नहीं देते, उचित न्याय नहीं देते या समय पर न्याय नहीं देते तो हम अपने आप का भरोसा करें स्वयं न्याय करें। अगर स्वयं के घर में भी अपराधी या दुराचारी है तो उसे बचाएं या छुपायें नहीं बल्कि कानून के हवाले करें। अपने पास-पड़ोस और समाज में किसी को भी न्याय की जरुरत हो अन्याय के विरुद्ध खड़े हो न्याय का साथ दें। अपराधी को पनाह नहीं मिलेगी, उसे सजा मिलेगी तभी अपराधियों के मन में दहशत पैदा होगी। सजा भी सरेआम दिया जाये जिससे कोई भी जुर्म करने की जुर्रत न करे। अपने घर के बेटे और बेटियों को सही शिक्षा और संस्कार दें विशेष तौर पर बेटों को स्त्रियों का सम्मान करना सिखाएं उन्हें कभी भी ऐसी कोई शिक्षा न दे कि वह बेटा है तो जैसे चाहे जी सकता है। बेटा और बेटी दोनों को स्वतंत्रता और स्वछंदता का अंतर अच्छी तरह समझाएं। उन्हें प्यार दें पर अनुशासन में भी रखें रिश्तों की गरिमा के साथ ही उनसे ऐसा सबंध रखें कि वो अपनी हर छोटी-बड़ी बात साझा करे। उचित शिक्षा, प्यार और विश्वास की कमी ही किसी को गलत राह पर ले जाती है।

बेशक कानूनी दृष्टि से स्त्रियों को पूर्ण समानता मिल चुकी है लेकिन सिद्धांत और वास्तविकता में अभी भी बहुत अंतर है। भारत के ग्रामीण स्त्रियों की स्थिति अभी भी अच्छी नहीं कही जा सकती और वहीँ शहरों में की कुछ स्त्रियाँ स्वतंत्रता के नाम पर स्वछंद हो गई हैं। सफलता का मार्ग अपने देश की सभ्यता और संस्कृति की भेंट चढ़ा कर या पश्चमी सभ्यता का अन्धानुकरण करके पाना किसी के भी हित में नहीं न उनके स्वयं के और न आम स्त्रियों के बल्कि ऐसा करके वो आम स्त्रियों की स्थिति को बदतर बना रहीं हैं। अपने देश की मार्यादाओं को ध्यान में रखकर प्रगतिशील होना ही हितकर है।

समाजशास्त्री अफलातून ने कहा है कि- "समाज में नारी का स्थान व महत्व क्या है वही जो पुरुष का है न कम और न अधिक। स्त्री और पुरुष दोनों एक रथ के पहियों के सामान हैं यदि एक कमजोर या घटिया हुआ तो समाज का रथ निर्विकार रूप से आगे नहीं बढ़ सकता है। ये दोनों नभ में उड़ने वाले पक्षी के दो डैनों के समान हैं यदि एक डैना छोटा या अशक्त रहा तो पक्षी नभ में विचरण नहीं कर सकता।"

अध्ययन के उद्देश्य-

1. इस शोध पत्र में इतिहास से लेकर वर्तमान समय तक नारियों की स्थिति के स्वरूप को लेकर चर्चा की जाएगी।
2. शोध पत्र के दौरान समाज में हो रहे स्त्री ओर पुरुषों के बीच जो भेद-भाव है, उसे खतम करके एक नए सामज का गठन करना ही इस शोध पत्र का उद्देश्य है।
3. शोध पत्र के मध्याम से स्त्री चिंतन को नवीन तरीके से वर्तमाना युग में प्रस्तुत करना ।

शोध प्रविधि:-

प्रस्तावित शोध पत्र में "भारतीय समाज में नारी की स्थिति" को लेकर चर्चा की गयी है। अंत: इस विषय को केन्द्रीय समस्या के रूप में रखते हुए तुलनात्मक, विश्लेषणात्मक, सर्वेक्षणात्मक, साक्षात्कार शोध प्रविधियों का प्रयोग किया जाएगा। आवश्यकतानुसार अन्य शोध प्रविधियों को भी अपनाया जाएगा।

भारत में नारी का मुक्ति संघर्ष सामाजिक और राजनीतिक स्तरों पर उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारंभ से शुरू हुआ। इस युग तक आते आते नारी की स्थिति दयनीय हो गई थी। बालविवाह, विधवाप्रथा, अशिक्षा, पर्दा प्रथा, सती प्रथा आदि सामाजिक कुरीतियों ने उसके जीवन को नाटकीय बना डाला था। जड़ रूढ़ियों व कुप्रथाओं के चक्र में पूरा नारी समुदाय घुटन महसूस कर रहा था। धार्मिक

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.301
Volume 3, Issue 2, September 2023

और सामाजिक स्तर पर नारी के ऊपर कड़े बंधन लगे हुए थे। इस समय तक समाज में सबसे ज्यादा उपेक्षित उत्पीड़ित नारी ही थी लेकिन इसी समय जिन समाजसुधारकों व धर्म सुधारकों का आगमन हुआ। उनका ध्यान सर्वप्रथम नारी की स्थिति पर ही गया। सुधाररकों ने नारी को दयनीयता से उबारने का आरंभ किया। जिसकी वजह से नारी प्रत्येक सुधार आंदोलन का केन्द्र बनी। विभिन्न प्रकार की कुप्रथाओं सतीप्रथा, बालविवाह, बहुविवाह, दहेजप्रथा, पर्दाप्रथा, कन्यावध, अनमेल विवाह आ की वजह से नारी ही नहीं पूरा समाज दुखित था।[3]सुधारकों ने इनकी पीड़ा को महसूस व इन कुरीतियों को मिटाने के लिए अनेक सुधार आंदोलन आरम्भ किए। बंगाल में ब्रहम सम बम्बई में प्रार्थना समाज, उत्तर भारत और पंजाब में आर्यसामज की स्थापना, समाज नारी जागरण को केन्द्र में रखकर ही की गई। आर्यसमाज और ब्रहम समाज जैसी संर ने महिला की शिक्षा बढ़ोतरी तथा पर्दाप्रथा, बालविवाह आदि सामाजिक बुराइ खत्म करने के लिए अथक प्रयास किया। किंतु सही मायने में महिलाओं की स्थिति के सुधार कार्य को तभी परिपक्कता मिली जब महिलाएं स्वयं आगे आई। बहुत सी महिलाओं ने सक्रिय और एकजुट होकर अनेक संगठनों की स्थापना की। "इस क्रम में सन् 1882 ई. में स्वर्णकुमारी देवी ने 'दि लैडीज थियोसोफिकल सोसाइटी' और सन 1886 ई. में 'सखी समिति' की स्थापना की। इसी तरह पंडित रमाबाई ने सन् 1892 में 'शारदा सदन' की स्थापना की।... सन् 1917 में 'इंडियन विमेन्स एसोशिएसन' का गठन किया। इसकी स्थापना मागरङ कजिन्स ने मद्रास में की थी।"इसी वर्ष सरोजनी नायडू के नेतृत्व में महिलाओं ने मताधिकार की माँग की। 1925 ई. में सरोजनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्षा बनीं। 1926 ई. में भारत में पहली हली बार स्त्रियों ने चुनाव में भाग लिया।

सुझाव-

नारी मुक्ति संघर्ष वस्तुतः स्वाधीनता के बाद की संकल्पना है। स्त्री के प्रति होने वाले शोषण के खिलाफ संघर्ष है। डॉ. संदीप रणभिरकर के शब्दों में "स्त्री • विमर्श स्त्री के स्वयं की स्थिति के बारे में सोचने और निर्णय करने का विमर्श है। सदियों से होते आए शोषण और दमन के प्रति स्त्री चेतन ने ही स्त्री- विमर्श को जन्म दिया है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था ने स्त्री समाज को हमेशा अंधकारमय जीवन जीने को मजबूर किया है। लेकिन आज की नारी चेतनशील है जिसे अच्छे-बुरे का ज्ञान है। इसीलिए अब इस व्यवस्था का बहिष्कार कर स्वच्छंदात्मक जीवन जीने को आतुर दिखाई देनी चाहिए ।

नारी संगर्ष से जुड़े अनेक प्रश्न, उन प्रश्नों से जुड़ी सामाजिक, पारिवारिक एवं आर्थिक बेबसी और उससे उत्पन्न स्त्री की मनः स्थिति का चित्रण अनेक स्तरों पर हुआ है। "साठ के दशक और उसके संघर्ष का अधिकांश इतिहास जागरूक होती हुई स्त्री का अपना रचा हुआ इतिहास है। नगरों एवं महानगरों में शिक्षित एवं नवचेतना युक्त स्त्रियों का एक ऐसा वर्ग तैयार हो गया था जो समाज के विविध क्षेत्र में अपनी कार्य क्षमता प्रमाणित करने के लिए उत्सुक था ।

निष्कर्ष

अब स्थिति कुछ बदली हुई नजर आती है। क्योंकि छठे शताब्दी के पहले तक सिर्फ पुरूष लेखकों का अधिकार था, महिला लेखन को काऊच लेखक कहकर हंसी उड़ाया जाता था। परन्तु अब स्त्री विमर्श का डंका इसलिए बज रहा है। क्योंकि आठवें दशक तक आते-आते महिला लेखिकाओं की बाढ़ सी आ गयी। उसके बाद भी प्रसिद्ध लेखिका सीमोन द बोउआर के उक्त कथन महिला समाज में परिलक्षित होती है "स्त्री की स्थिति अधीनता की है। स्त्री सदियों से ठगी गई है और यदि उसने कुछ स्वतंत्रता हासिल की है तो बस उतनी ही जितनी पुरूष ने अपनी सुविधा के लिए उसे देनी चाही। यह त्रासदी उस आधे भाग की है, जिसे आधी आबादी कहा जाता है। महिला लेखिकाओं की लड़ाई डॉ जयोति किरण की उपर्युक्त गद्यांश में देखी जा सकती है। अतः निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि नारी आदिकाल से ही पीडित एवं शोषित रही है पुरुष प्रधान समाज मान मर्यादा के आड में सदा उसे दबाकर रखना

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.301
Volume 3, Issue 2, September 2023

चाहा। कभी घर का इज्जत कहकर तो कभी देवी कहकर चार दीवारों के अन्दर केंद ही रखा। इन्हीं परम्परागत पितृसत्तात्मक बेड़ियों को लांघने की लड़ाई है स्त्री-विमर्श।

संदर्भ- ग्रंथ

1. अग्रवाल, चन्द्रमोहन, भारतीय नारी: विविध आयाम, पृ-सं-35, श्री अल्मोड़ा बुक डिपो, अल्मोड़ा।
2. अग्रवाल, प्रेमनारायण, सम्पादन, जगदीश्वर चतुर्वेदी, पृ. सं. 23-24, अनामिका पब्लिशर्स एंड डिपो, नई दिल्ली।
3. डॉ. मधु देवी, अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिका, शोध, समीक्षा और मूल्यांकन, पृ. सं. 74।
4. शर्मा, गजानन, प्राचीन साहित्य में नारी, पृ. सं. 21, रचना प्रकाशन, 45-ए, खुल्दाबाद, इलाहाबाद
5. शर्मा, गजानन, प्राचीन भारतीय साहित्य में नारी, पृ. सं. 42-43, रचना प्रकाशन, 45-ए, खुल्दाबाद, इलाहाबाद
6. आशारानी व्होरा - औरत कल, आज और कल कल्याणी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली, 2006
7. डॉ० उर्मिला प्रकाश मिश्र - प्राचीन भारत में नारी, मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल, 2002
8. एम० के० गाँधी- वीमेन एंड सोशल इन जस्टिस, नवजीवन पब्लिसिंग हाउस,अहमदाबाद, 1954
9. डॉ० कीर्ति केसर - स्वातन्त्र्योत्तर हिन्दी कहानी का समाज सापेक्ष्य अध्ययन, नचिकेता प्रकाशन, नई दिल्ली।

प्रो० कसुमलता केडिया, प्रो० रामेश्वर प्रसाद मिश्र - स्त्रीत्व, धारणाएं एवं यथार्थ, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी 2004.